



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233690
CG-DL-E-23022022-233690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 791]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

का.आ. 820(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स आईएमसी लिमिटेड की काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केवीएनपीएल) परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री एम. लक्ष्मी नरसिम्हम्, उप समाहर्ता, आंध्र प्रदेश सरकार को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/247/2021-जीपी - II (ई-41190)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2022

S.O. 820(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Sri M. Lakshmi Narasimham, Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Kakinada-Vijayawada-Nellore Natural Gas Pipeline (KVNPL) Project of M/s. IMC Limited in the State of Andhra Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/247/2021-GP-II (E-41190)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.